राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

ई–ऑक्शन द्वारा आवास/फ्लेट्स के निस्तारण की प्रक्रिया

स्टेप–I

आवास/फ्लेट्स से संबंधित समस्त विवरण उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता (स्वतंत्र खण्ड) द्वारा मण्डल की बेवसाईट पर दिनांक 05.09.2019 तक अपलोड किया जाये। निम्न वर्णित दस्तावेजों को अपलोड किया जावें –

1. योजना का संक्षिप्त विवरण (Brief Note)
2. योजना का की–प्लान (Key-Plan), गुगल मेप एवं ले-आउट प्लान
3. आवास/फ्लेट्स/अपार्टमेन्ट की वर्तमान फोटो (20KB तक)
4. आवास/फ्लेट्स का बिल्डिंग प्लान
5. आवास/फ्लेट्स संख्या सूची
6. आवास की साईज/फ्लेट्स का निर्मित क्षेत्रफल
7. आवास/फ्लेट्स का प्रकार – (1BHK/ 2BHK/ 3BHK/ 4BHK)
8. आवास/फ्लेट्स की वर्तमान लागत
9. आवास/फ्लेट्स की वर्तमान लागत में छूट (ऋणात्मक) की सलेब (0-25% / 0-50%)

स्टेप– II

आमजन को ई–ऑक्शन की जानकारी देने हेतु वृहद प्रचार–प्रसार निम्नानुसार किया जावेगा–

1. ई–ऑक्शन विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 05.09.2019 को जारी की जावें।
2. आमजन के लिए मण्डल की ई–ऑक्शन बेवसाईट दिनांक 06.09.2019 से खोली जावें।
3. दिनांक 06.09.2019 से 04.10.2019 तक कम–से–कम चार राज्य स्तरीय टी.वी. चैनलों पर विज्ञापन दिया जावें।
4. फ्लैक्स/बैनर/होडिंग्स दिनांक 05.09.2019 तक यथा स्वीकृत स्थान जैसे मण्डल कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, विशेष चौराहो, कलेक्टर ऑफिस/ मुख्य प्रशासनिक कार्यालयों इत्यादि पर लगाये जाये।

स्टेप–III

उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता (स्वतंत्र खण्ड) द्वारा फील्ड टीमों के गठन के कार्यालय आदेश दिनांक 30.08.2019 तक जारी किये जावें एवं मण्डल के वृत्त/खण्ड कार्यालय/स्थल पर आमजन के सम्पर्क हेतु दिनांक 06.09.2019 से काउन्टर प्रारम्भ किये जावें।

काउन्टर पर उपस्थित फील्ड टीम द्वारा आमजन को निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध करवायी जावेगी।

1. योजना का ले-आउट व भवन मानचित्र दिखाना।
2. मौके पर जाकर आवास/फ्लेट्स दिखाना।
3. ई-ऑक्शन प्रक्रिया की जानकारी बताने एवं मांग करने पर डेमो बताना।
4. आवास/फ्लेट्स से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध कराना।
5. आमजन को ई-ऑक्शन में ऑनलाईन बिड की कार्यवाही अपने स्तर पर अथवा संबंधित वृत्त/खण्ड कार्यालय में आकर किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जावें।

स्टेप-IV

उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता (स्वतंत्र खण्ड) द्वारा अपने स्तर पर स्थानीय बैंकों से पत्राचार/सम्पर्क कर दिनांक 06.09.2019 से 10.10.2019 तक मण्डल वृत्त/खण्ड कार्यालय में कैम्प लगवाया जायें, जिसमें बैंकर्स द्वारा आमजन को ई-ऑक्शन से आवंटित आवास/फ्लेट्स के ऋण (House Loan) दिये जाने से संबंधित जानकारी दी जावेगी।

स्टेप-V

जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा ई-ऑक्शन से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया का डेमो विडियो तैयार कर दिनांक 06.09.2019 तक यू-ट्यूब (You-Tube) पर अपलोड किया जावें।

स्टेप-VI

ई-ऑक्शन द्वारा इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विकल्प दिनांक 30.09.2019 से प्रारम्भ होकर कार्यक्रमानुसार खुला रहेगा।

स्टेप-VII

ई-ऑक्शन प्रक्रिया बन्द होने के पश्चात संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा प्राप्त समस्त वैद्य प्रस्तावों पर कार्यवाही करते हुए सफल बोलीदाताओं को 10 प्रतिशत राशि 72 घण्टे में जमा कराने का मांग पत्र बोली समाप्ति के तुरन्त पश्चात सफल बिडर द्वारा डाऊनलोड किया जा सकेगा। सफल बोलीदाता की बिड संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा अपने स्तर पर स्वीकृति पश्चात शेष राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र अविलम्ब जारी कर 60 दिवस का समय दिया जावें।

आवंटी द्वारा वांछित राशि/आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के उपरान्त उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता द्वारा 07 दिवस में आवास/फ्लेट्स का भौतिक कब्जा सुपुर्द किया जावें एवं आवेदक के भौतिक कब्जा लेने के 30 दिवस की अवधि में लीज डीड (Registry)/पंजीयन दस्तावेज जारी किये जावें।